न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः   ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 667/2024

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 1275/2024

CNR No. UPGZ010187392024

वेदपाल सिंह------------**बनाम**----------उत्तर प्रदेश सरकार आदि

11-05-2026

1- पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

3- प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं० 3 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि परिवाद में जानकारी निगरानीकर्ता को तब हुई जब उसके पास थाना भोजपुर की पुलिस द्वारा अवर न्यायालय का सम्मन पहुंचा। जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली की जानकारी कराई गई और अपनी जमानत कराई। जमानत के बाद से अब तक परिवार के व्यक्तियो व समाज के व्यक्तियो द्वारा फैसले की बात चला रखी थी। कई बार परिवादी से समझौता भी हो गया था परन्तु बार-बार परिवादी समझौते से मुकर जाता हैं। इसलिये निगरानीकर्ता ने नकल प्राप्त कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17-06-2019 के विरूद्ध उक्त निगरानी योजित की गई। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती या लापरवाही नहीं की है। अतः याचना की गयी कि उक्त निगरानी को दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाकर निगरानी पर सुनवाई किये जाने के आदेश पारित किये जाए।

4- राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी की ओर से दिन प्रतिदिन विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है।

5- उत्तरदाता सं० 2 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

6- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 1347/2019 सत्यप्रकाश बनाम वेदपाल सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17-06-2019 के विरूद्ध योजित की गई है। प्रार्थी का कथन हैं कि मामले में थाना हाजा की पुलिस द्वारा प्रार्थी के घर जाकर सम्मन दिये जाने पर प्रश्नगत आदेश की जानकारी दी गयी। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से मामले में जानकारी की, तब प्रश्नगत आदेश की जानकारी हुई। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि सम्मनिंग आदेश दिनांक 17-06-2019 को पारित हुआ हैं और

उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी दिनांक 24-10-2024 को योजित की गयी है। विपक्षी सं० 2 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त कारण दर्शित नही किये हैं, परन्तु मामले के व्यापक न्यायहित में प्रार्थी को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। तदनुसार मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता हैं तथा दाण्डिक निगरानी को दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता हैं।

पत्रावली वास्ते अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 20-05-2026 को श्रीमान सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद के समक्ष पेश हो।

पक्षकार नियत तिथि को श्रीमान सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद के समक्ष उपस्थित हो।

(ललिता गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।